भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

(27)

//श्री//

निगरानी प्रकरण क्रमांक ..../2018

प्रस्तुती दिनांक ..../......../................

श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल, म.प्र. ग्वालियर (म.प्र.) के न्यायालय में।

PBR/निगरानी/धार/भू.रा/2017/6373

1. प्रेमबाई विधवा सोहनसिंह, जाति – राजपुत,
निवासीः– ग्राम मुंडाना, तहसील व जिला धार, (म.प्र)
हाल मुकाम :– सुखदेव नगर, फुटीकोठी, इन्दौर (म.प्र)

2. बलराम पिता सोहनसिंह, (नाबालिग)

3. कुमारी प्रियंका पिता सोहनसिंह, (नाबालिग)
क्रमांक 02 व 03 अज्ञान तर्फे पालनकर्ता माता प्रेमबाई विधवा सोहनसिंह,
निवासीः– ग्राम मुंडाना, तहसील व जिला धार, (म.प्र)
हाल मुकाम :– सुखदेव नगर, फुटीकोठी, इन्दौर, (म.प्र)

......प्रार्थीगण

विरूद्ध

1. भागवंताबाई विधवा नंदराम, जाति – राजपुत
निवासीः– ग्राम मुंडाना, तहसील व जिला धार, (म.प्र)

2. जीवन पिता नंदराम, जाति – राजपुत
निवासीः– ग्राम मुंडाना, तहसील व जिला धार, (म.प्र)

.......प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959

श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय (राजस्व) धार, जिला धार, म.प्र. के द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 171/अपील/2015–16 में दिनांक 27/11/2017 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर यह निगरानी निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत है।

आज .... 29/12/17 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 02.1.18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट 29/12/17
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

Dohet... 29/12/17

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

ग कमांक PBR/निगरानी / धार / भू.रा. / 2017 / 6373

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2—1—2018	आवेदकगण की ओर से श्री के.के. चतुर्वेदी, अभिभाषक उपस्थित । आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा करने में अति संक्षिप्त प्रकृति का आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त किया जाये । 2/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 27—11—17 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अतः अनुविभागीय अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विलम्ब क्षमा करने के संबंध में स्पष्ट उल्लेख करते हुए, बोलता हुआ आदेश पारित कर अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र का निराकरण करें । यह प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	